

HARYANA GOVERNMENT
HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION

No.48/73/2010-4HBII -In exercise of the powers conferred by the Drugs and Cosmetic Act, 1940,,Indian Medical Council Act, 1956 and the Dentist Act, 1948, the Civil Surgeon of the District is hereby authorized to file complaints in the competent jurisdictional courts under various provisions fo Acts mentioned below:

- a) Under Sub-section 1(b) of Section 32 of Drugs and Cosmetic Act, 1940,
- b) Under Sub-section 3 of Section 15 of the Indian Medical Council Act, 1956 or he may authorize in writing to any gazette officer,
- c) Under Sub-section 47, 48,49,50 and 51 of the Dentist Act,1948 or he may authorize in writing to any gazette officer,
- d) Verify the registration of the Medical/Dental practitioner and their qualification annually and initiate action against those who found to be violating the said provisions,

Dated, Chandigarh
the 20.12.2011

NAVRAJ SANDHU
Financial Commissioner & Principal Secretary to
Govt.Haryana, Health Department.

Endst.No.48/73/2010-4 HBII

Dated Chandigarh. the

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationary Deptt. Haryana, Chandigarh with the request that the above notification may be published in the Haryana Govt. Extra ordinary Gazettee and supply 500 copies to this department immediately.

Superintendent Health-II,
for Financial Commissioner & Principal Secretary to
Govt. Haryana,Health Department.

Endst.No.48/73/2010-4 HBII

Dated Chandigarh, the 3-1-2012

A copy is forwarded to the following for information and necessary
action :-

1. The Accountant General (A&E),Haryana ,Chandigarh
2. Director General Health Services , Haryana,Sector 6,Panchkula with the request that the copies of the notifications may be sent to all the concerned under intimation to Government.

Navraj Sandhu
Superintendent Health-II,
for Financial Commissioner & Principal Secretary to
Govt. Haryana,Health Department

पी.टी.अ.०.

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा, पंचकुला


पृ० 4पीएम-12/

26-67

दिनांक 3-11-72

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

- 1 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
- 2 हरियाणा राज्य के सभी सिविल सर्जन ।



उपनिदेशक, पीएम
कृते-महानिदेशक, स्वास्थ्यसेवायें,
हरियाणा, 3/11/72

हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

क्रमांक 48/73/2010-4 एच बी II, औषधि एवं सौन्दर्य प्रशासन अधिनियम,

1940: भारतीय चिकित्सा आयुर्विज्ञान 1956 एवं दन्तक अधिनियम, 1948 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत जिला के सिविल सर्जन को सक्षम न्यायिक न्यायालय में शिकायत दर्ज करने के लिये अधिकृत किया जाता है :-

- क) औषधि एवं प्रशासन अधिनियम, 1940 के खण्ड 32 के उप खण्ड 1 (ख) के तहत;
- ख) भारतीय चिकित्सा आयुर्विज्ञान अधिनियम, 1956 के खण्ड 15 के उप खण्ड 3 के तहत या वह जो किसी राजपत्रित अधिकारी को लिखित में अधिकृत करें;
- ग) दन्तक अधिनियम, 1948 के उप खण्ड 47, 48, 49, 50 तथा 51 के तहत या वह जो किसी राजपत्रित अधिकारी को लिखित में अधिकृत करें;
- घ) चिकित्सा / दन्त सेवा व्यक्तियों के पंजीकरण एवं उनकी योग्यता की वार्षिक पडताल की जाए और जो कोई भी उक्त प्रावधानों की उलंघना करता पाया जाए उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही सूचित की जाए ।

चण्डीगढ़
दिनांक 20.12.2011

नवराज संघु
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग ।

पृ० क्रमांक 48/73/2010-4 एच बी II

दिनांक

इसकी एक प्रति नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि इसकी 500 प्रतियां हरियाणा सरकार के असाधारण गजट में मुद्रित करके सरकार को भेजे ।

अधीक्षक स्वास्थ्य-II
कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग ।

पृ० क्रमांक 48/73/2010-4 एच बी II

दिनांक 3-1-2012

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा, सेक्टर-6 पंचकूला को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि अधिसूचना की प्रति सभी सम्बन्धित को भिजवा कर सरकार को भी सूचित करें ।

अधीक्षक स्वास्थ्य-II

कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग

पी.टी.ओ.

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवार्य, हरियाणा, पंचकुला

पृ०५०


4पीएम-111

23-45

दिनांक 3.1.12

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
2. हरियाणा राज्य के सभी सिविल सर्जन ।



उपनिदेशक, पी. एम.
कृते-महानिदेशक, स्वास्थ्यसेवार्य, हरि०।

3/1/12